न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : बलदेवाराम धोजक, RAS

अपील संख्या 92/2022

1 चुनाराम पुत्र जैसाराम (मृतक)।
1/1 भागीरथ पुत्र चुनाराम।
1/2 जानकी देवी पुत्री चुनाराम।
1/3 रामकोरी पत्नी चुनाराम (मृतक)।
1/3/1 सुनिता पुत्री रामकोरी।
1/3/2 सन्जु पुत्री रामकोरी।
1/4 छोटी देवी पुत्री चुनाराम।
1/5 विमला देवी पुत्री चुनाराम।
2 लिछमण पुत्र जैसाराम (मृतक)।
2/1 रामकुमार पुत्र लिछमण।
2/2 केसी देवी पत्नी लिछमण।
2/3 शारदा देवी पत्नी रणजीत।
2/4 कमला देवी पत्नी रणजीत।
2/5 सरोज देवी पत्नी विजेन्द्र समस्त जाति जाट निवासीगण माधोपुरा तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर।

अपीलांट

बनाम

1 हरलाल पुत्र किशनाराम।
2 हरिराम पुत्र दुलाराम।
3 मोहनराम पुत्र नारायण (मृतक)।
3/1 लाडा देवी पत्नी मोहनराम।
3/2 बलबीर सिंह पुत्र मोहनराम (मृतक)।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

3/2/1 सावित्री पत्नी बलबीर सिंह।
3/2/2 सुरेश पुत्र बलबीर सिंह।
3/2/3 अनिल पुत्र बलबीर सिंह।
3/2/4 सुमन कुमारी पुत्री बलबीर सिंह।
3/2/5 विनोद कुमारी पुत्री बलबीर सिंह।
3/3 गोरधन पुत्र मोहनराम (मृतक)।
3/3/1 राजेश पुत्र गोरधन।
3/3/2 मन्जू पुत्री गोरधन।
3/3/3 सरस्वती पत्नी गोरधन।
3/3/4 सुमित्रा पुत्री गोरधन।
3/4 भोपालराम पुत्र मोहनराम।
3/5 बसन्ती पुत्री मोहनराम।
3/6 तारामणी पुत्री मोहनराम।
3/7 मणी पुत्री मोहनराम।
3/8 सन्तोष पुत्री मोहनराम।
4 मोतीराम पुत्र चिमनाराम।
5 रामकुमार पुत्र किशनाराम।
6 निवास पुत्र सेवाराम।
7 छोटू पुत्र सेवाराम।
8 रणजीत पुत्र सेवाराम।
9 पप्पू उर्फ रिछपाल पुत्र सेवाराम।
10 सिणगारी पत्नी पन्नाराम।
11 भैरूराम पुत्र पन्नाराम।
12 रामलाल सिंह पुत्र जगनाराम।
13 भगवत सिंह पुत्र गनाराम।
14 पूर्णाराम पुत्र गंगाधर।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

15 श्रीचन्द पुत्र गंगाधर समस्त जाति जाट निवासीगण माधोपुरा तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर।
16 तहसीलदार लक्ष्मणगढ़ तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर।
17 नायब तहसीलदार लक्ष्मणगढ़ तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर।
18 पटवारी हल्का रहनावा तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर।
19 गिरदावर हल्का बलांरा तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर।
20 पंजाब नेशनल बैंक शाखा बीदासर जरिये प्रबन्धक।
21 सीकर सहकारी भूमि विकास बैंक शाखा लक्ष्मणगढ़ जरिये प्रबन्धक।

रेस्पोडेंट

अपील निर्णय विरूद्व डॉ. कुलराज मीणा आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी लक्ष्मणगढ़ अनुवानी चुनाराम
बनाम हरलाल आदि वाद संख्या 187/2009 निर्णय
दिनांक 23.08.2022 अन्तर्गत धारा 223 आरटीएक्ट

उपस्थिति :

1. श्री भगवान सिंह धायल, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री भागीरथमल जाखड़, अधिवक्ता रेस्पोडेंट

<u>–निर्णय–</u>

दिनांकः– 17.5.24

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लक्ष्मणगढ़ द्वारा मुकदमा नम्बर 187/2009 में पारित निर्णय दिनांक 23.08.2022 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि विचारण न्यायालय में कृषि भूमि खसरा नम्बर 82 रकबा 3.34 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 79 रकबा 0.33 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 263 रकबा 2.76 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 276 रकबा 0.05 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 253/1 रकबा 5.9 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 142 रकबा 1.19 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 140 रकबा 1.16 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 340 रकबा 1.17 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 141 रकबा 0.99 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 138 रकबा 1.28 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 339 रकबा 1.63 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 341/1 रकबा 1.64 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 341/2 रकबा 1.83 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 341/4 रकबा 1.87 हैक्टेयर वाके ग्राम माधोपुरा तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर में वाद उद्घोषणा स्थाई निषेधाज्ञा का वाद प्रस्तुत किया। विचारण न्यायालय ने बाद सुनवाई विचाराधीन वाद वादी खारिज कर दिया। इससे व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय में अपीलांट को खसरा नम्बर 140,340 मुताबिक राजीनामे आपसी सहमती होने के बावजूद मृतक खातेदार सेऊ ने दानपत्र अपने दोहिते हरलाल पुत्र किशनाराम के नाम किया गया। हरलाल अपने माता पिता के पास ही आवास निवास कर रहा था। दानपत्र के आधार पर हरलाल को कब्जा प्राप्त नही हुआ। क्योंकि विवादित भूमियों का सहमती से किये गये बंटवारे के मुताबिक खसरा नम्बर 140,340 की हिस्से में आई हुई है। उक्त बंटवारे से पूर्व सेऊ से हरिराम को गोद लिया था। हरिराम गोद होने के कारण विवादित भूमियां हरिराम के कब्जे काश्त में रही है। विवादित भूमि खसरा नम्बर 340 कभी सेऊ के कब्जे काश्त मे नही रही। रेस्पोडेंट संख्या 1 ने आवेदन आदेश 7 नियम 11 सीपीसी का पेश किया। अपीलांट ने जिसका जवाब पेश किया गया। विचारण न्यायालय ने आदेश 7 नियम 11 पर बहस सुनकर वाद वादी खारिज कर दिया। विचारण न्यायालय का निर्णय विधि विरूद्व है। अत अपीलांट ने अपील स्वीकार करने का निवेदन किया। विद्वान अधिवक्ता ने अपने कथनों के समर्थन में आर.आर.टी.

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

2022–23 पेज 354, आर.बी.जे. 2023 पेज 106, आर.बी.जे. 2023(एच.सी.) पेज 21 के न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किये है।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेंट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय में कृषि भूमि खसरा नम्बर 82 रकबा 3.34 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 79 रकबा 0.33 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 263 रकबा 2.76 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 276 रकबा 0.05 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 253/1 रकबा 0.59 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 253/2 रकबा 1.76 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 140 रकबा 1.16 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 340 रकबा 1.77 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 142 रकबा 1.19 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 138 रकबा 1.28 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 139 रकबा 1.32 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 339 रकबा 1.63 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 341/2, खसरा नम्बर 341/4 पुख्ता भूमि संवत 2013 से 2021 तक खातेदार अर्जुन पुत्र हुक्माराम के नाम से दर्ज रही जो अर्जुन की स्वअर्जित भूमि थी जिसको उसने निवास पुत्र बालाबक्स महाजन से अर्जित करके कब्जा व अधिपत्य प्राप्त किया था अर्जुन के देहान्त के बाद उसकी विरासत में इन खसरा नम्बरान की भूमियां उसकी बेवा सेऊ को विरासत में प्राप्त हुई और सेऊ के नाम नामान्तकरण संख्या 44 विरासत में 05.04.1964 को दर्ज किया गया और अपने नाम खातेदारी दर्ज होने के कुछ वर्षो के बाद 27.02.1973 को उक्त सेऊ बेवा अर्जुन के द्वारा बख्शीशनामा के जरिये अपनी उपरोक्त खातेदारी की भूमियां खसरा नम्बरान उपरोक्त वर्णित को हर खास व आम लोगो की जानकारी में प्रतिवादी संख्या 1 हरलाल के पक्ष में बख्शीशनामा पंजियन करवाकर उसे बख्शीश कर दी गई और मौके पर खसरा नम्बर 140 व खसरा नम्बर 340 की विरासत में प्राप्त भूमियों पर से अपना कब्जा व स्वामित्व हटाकर हरलाल प्रतिवादी संख्या 1 का करवा दिया तब से 27.02.1973 से प्रतिवादी संख्या 1 हरलाल इन भूमियों पर काबिज काश्तकार है यह भूमियां वादीगण की पैतृक भूमियां नहीं है और इन भूमियों बाबत वादीगण का कोई वाद कारण प्राप्त नहीं होता है और उन्हे बख्शीशनामें में वर्णित भूमियों के बाबत वाद दायर करने का कानूनी अधिकार प्राप्त नही है। इसके बावजूद समस्त तथ्यों को

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

जानते हुये वादीगण के द्वारा प्रतिवादी संख्या 1 को हैरान व परेशान करने के लिए और न्यायालय का कीमती समय बरबाद करने के लिये गलत तथ्यों पर आधारित विधि विरूद्व वाद पेश किया है जो खारिज किये जाने योग्य था। वादीगण के द्वारा अपने वाद पत्र की मद संख्या 1 में दर्ज वंशावली में अर्जुन पुत्र हुक्माराम की स्वअर्जीत भूमियों का बख्शीशनामा के जरिये स्वामित्व प्राप्त होना कोई गलत नही है वादी के द्वारा न्यायालय को मुगालते मे रखकर यह विधि विरूद्व वाद पेश किया है खसरा नम्बर 140 व 340 बाबत कोई घोषणाा व बंटवारा स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने का वादीगण अधिकारी नही है। विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय विधि सम्मत है। अत अपील खारिज की जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि विचारण न्यायालय में कृषि भूमि खसरा नम्बर 82 रकबा 3.34 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 79 रकबा 0.33 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 263 रकबा 2.76 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 276 रकबा 0.05 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 253/1 रकबा 0.59 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 253/2 रकबा 1.76 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 140 रकबा 1.16 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 340 रकबा 1.77 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 142 रकबा 1.19 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 138 रकबा 1.28 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 139 रकबा 1.32 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 339 रकबा 1.63 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 341/2, खसरा नम्बर 341/4 पुख्ता भूमि संवत 2013 से 2021 तक खातेदार अर्जुन पुत्र हुक्माराम के नाम से दर्ज रही जो अर्जुन की स्वअर्जित भूमि थी जिसको उसने निवास पुत्र बालाबक्स महाजन से अर्जित करके कब्जा व अधिपत्य प्राप्त किया था अर्जुन के देहान्त के बाद उसकी विरासत में इन खसरा नम्बरान की भूमियां उसकी बेवा सेऊ को विरासत में प्राप्त हुई और सेऊ के नाम नामान्तकरण संख्या 44 विरासत में 05.04.1964 को दर्ज किया गया और अपने नाम खातेदारी दर्ज होने के कुछ वर्षो के बाद 27.02.1973 को उक्त सेऊ बेवा अर्जुन के द्वारा बख्शीशनामा के जरिये अपनी उपरोक्त खातेदारी की भूमियां खसरा नम्बरान उपरोक्त वर्णित को हर खास व

आम लोगो की जानकारी में प्रतिवादी संख्या 1 हरलाल के पक्ष में बख्शीशनामा पंजियन करवाकर उसे बख्शीश कर दी गई और मौके पर खसरा नम्बर 140 व खसरा नम्बर 340 की विरासत में प्राप्त भूमियों पर से अपना कब्जा व स्वामित्व हटाकर हरलाल प्रतिवादी संख्या 1 का करवा दिया तब से 27.02.1973 से प्रतिवादी संख्या 1 हरलाल इन भूमियों पर काबिज काश्तकार है यह भूमियां वादीगण की पैतृक भूमियां नहीं है और इन भूमियों बाबत वादीगण का कोई वाद कारण प्राप्त नहीं होता है और उन्हे बख्शीशनामें में वर्णित भूमियों के वावत वाद दायर करने का कानूनी अधिकार प्राप्त नही है। ऐसी स्थिति में वादकरण के अभाव में विचारण न्यायालय ने विचाराधीन निर्णय से वाद वादी खारिज करने में कोई विधिक त्रुटि नही की है। विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय विधि सम्मत है। अत इसमें हस्तक्षेप करना हम उचित नही समझते है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 17.5.24 को सरे इजलास सुनाया गया।

(बलदेवाराम भोचक)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर